

प्रेषक,

सी0एम0एस0 बिष्ट,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।
5. समस्त लोक सूचना अधिकारी/  
विभागीय अपीलीय अधिकारी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सामान्य प्रशासन विभाग,

देहरादून: दिनांक १६ सितम्बर, 2013

विषय: सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता हेतु विभागों की महत्वपूर्ण सूचनाओं के स्वतः प्रकटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं0-2132/xxxi(13)G-65(सू0अ0)/2012 दिनांक 28 जून, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली के नियम 3 में राज्य सरकार द्वारा सूचना का स्वतः प्रकटन का प्रावधान किया गया है। जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि राज्य सरकार समय-समय पर किसी लोक प्राधिकारी अथवा लोक प्राधिकारियों से स्वतः प्रकटन की जाने वाली सूचना और उसका अद्यावधिकरण राज्य सरकार के गजट में अधिसूचना प्रकाशित लोक प्राधिकारी विहित किये जाने के 60 दिन के अन्दर इलैक्ट्रानिक प्ररूप में करेगा। लोक प्राधिकारी, इलैक्ट्रानिक प्ररूप पर स्वतः प्रकटन हेतु विहित सूचना को सम्पूर्ण देश में कम्प्यूटर नेटवर्क से अथवा इण्टरनेट के माध्यम से सम्बद्ध करेगा। लोक प्राधिकारी विहित सूचना को राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप में अद्यावधिक करेगा। विभागीय कार्यकलापों के विषय में पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 में उल्लिखित सूचना के प्रकट किये जाने से छूट के सम्बन्ध में किये गये प्राविधानों को छोड़कर, अन्य आवश्यक सूचनाओं के साथ वरियता कम में प्रकाशित की जाने वाली सूचनाएं निम्नवत होंगी-

1. विभागों के अन्तर्गत रू0 25.00 लाख अथवा अधिक लागत की निर्माण परियोजनाओं के ठेके देने सम्बन्धी सूचनाएं। उक्त सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित बिन्दु होंगे-

- (i) परियोजनाएं जिसका निर्माण किया जाना है, उसका नाम, स्थान तथा अनुमानित मूल्य।
- (ii) परियोजना के सम्बन्ध में ठेका देने के लिए विज्ञापन जिन-जिन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है, उसका नाम तथा संस्करण का दिनांक। यदि किसी अन्य माध्यम से भी निविदा आमंत्रण के लिए सूचना प्रचारित हुयी है तो उसका भी विवरण।

- (iii) ठेके के लिए निविदा आमंत्रण के विरुद्ध प्राप्त निविदाओं की संख्या तथा निविदादाताओं के नाम, पता, सम्पर्क दूरभाष नम्बर आदि का विवरण।
- (iv) प्रत्येक निविदादाता द्वारा दी गयी दर/मूल्य का विवरण तथा इनमें सबसे कम मूल्य के निविदादाता का नाम, पता, सम्पर्क दूरभाष नम्बर इत्यादि का विवरण।
- (v) निविदा जिस निविदादाता को स्वीकृत हुयी है, उसका नाम व पते का विवरण और यदि यह निविदादाता सबसे कम मूल्य के निविदादाता नहीं है तब उसको निविदा देने के औचित्य का विवरण।
- (vi) निविदादाता/ठेकेदार की श्रेणी, संगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों का ब्योरा, जिस सीमा तक परियोजना/निर्माण कार्य की संस्तुति प्राप्त जानी है या की गयी है।
- (vii) निविदा स्वीकार होने के उपरान्त निर्माण के लिए आदेश तथा अनुबन्ध की शर्तों तथा निविदा पूर्ण होने के लिए निर्धारित समय सीमा।
- (viii) अन्य प्रासंगिक विवरण।

2. राज्य सरकार के विभागों के अन्तर्गत रु0 10.00 लाख अथवा अधिक मूल्य की सामग्री आपूर्ति के सम्बन्ध में वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित की जायेगी जिसमें निम्नांकित बिन्दु होंगे:-

- (i) सामग्री जिसकी आपूर्ति होनी है उसका नाम, मात्रा, संख्या, अनुमानित मूल्य तथा विशिष्टियाँ, यदि कोई हों, का विवरण।
- (ii) सामग्री आपूर्ति के लिए निविदा प्रकाशित करने का दिनांक तथा जिन समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित हुयी है, उनका नाम व संस्करण का दिनांक तथा अन्य माध्यम से भी यदि निविदा प्रचारित हुई है तो उन माध्यमों का विवरण।
- (iii) निविदा आमंत्रण के विरुद्ध प्राप्त निविदाओं की संख्या तथा निविदादाताओं के नाम, पते, सम्पर्क दूरभाष नम्बर आदि का विवरण प्रत्येक निविदादाता द्वारा जो दरें अथवा सामग्री का मूल्य दिया गया है, उसका विवरण।
- (iv) निविदादाताओं में सबसे कम दर व मूल्य के निविदादाता का नाम, पता, दूरभाष सम्पर्क नम्बर आदि का विवरण।
- (v) सामग्री आपूर्ति के लिए निविदादाता को आपूर्ति आदेश दिये गये हैं उनका नाम, पता आदि का विवरण और यदि वह सबसे कम दर अथवा मूल्य का निविदादाता नहीं है तब ऐसे निविदादाता को आपूर्ति आदेश दिये जाने के औचित्य के सम्बन्ध में विवरण।
- (vi) पूर्व में अनुबन्धित ठेकेदार/फर्मों/एजेन्सियों को कभी ब्लैक लिस्टेट में डाला गया है, तो इनके नाम, पते सहित विवरण।
- (vii) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 हस्तपुस्तिका संग्रहालय भाग-5 एवं संगत वित्त विभाग के दिशा निर्देशों/शासनादेश सं0-177/xxxvii(7)/2008 दिनांक 01 मई, 2008 के परिपेक्ष्य में फर्मों/एजेन्सी आदि को पंजीकरण, पंजीकरण की वैधता अवधि।
- (viii) सामग्री आपूर्ति आदेश पूरा करने के लिए समय-सीमा। आपूर्तिकर्ता फर्म के साथ जो अनुबन्ध है, उसकी शर्तें तथा आपूर्ति आदेश तथा तिथियों का विवरण।
- (ix) अन्य प्रासंगिक विवरण।

3. राज्य के अन्तर्गत किसी संस्था को भूमि आवंटन के लिए यदि कोई नीति है तो उस नीति का प्रकाशन वेबसाइट पर किया जायेगा। भूमि आवंटन के सम्बन्ध में सम्बन्धित विधि के सुसंगत उद्धरण। इसी प्रकार भूमि आवंटन के सुसंगत नियमों के उद्धरण तथा भूमि आवंटन के सम्बन्ध में शासनादेश का प्रकाशन वेबसाइट पर किया जायेगा। भूमि आवंटन के सम्बन्ध में आवेदनकर्ताओं तथा जिनको भूमि का पट्टा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत हुआ है, उनके सम्बन्ध में निम्नांकित सूचना का प्रकाशन वेबसाइट पर किया जायेगा।

(i) भूमि आवंटन के लिए आवेदनकर्ता का नाम, पता, आवंटन के लिए याचित भूमि का क्षेत्रफल, स्थान, तहसील व जनपद तथा भूमि किस प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जायेगी, उसका विवरण।

(ii) यदि एक ही स्थान पर आवंटन के लिए एक से अधिक आवेदनकर्ता हैं तो सभी का उक्तानुसार विवरण।

(iii) भूमि का आवंटन जो स्वीकृत हुआ है उनमें आवंटी का नाम, पता, आवंटित क्षेत्रफल तथा आवंटन की शर्तों व आवंटन की अवधि का विवरण।

(iv) आवेदन पत्र जिसे अस्वीकार किया गया है उस आवेदनकर्ता का नाम, पता तथा आवेदन अस्वीकार करने का कारण।

(v) अन्य प्रासंगिक विवरण।

4. राज्य की खनन नीति वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी तथा खनन नीति के अन्तर्गत खनन हेतु पट्टों के स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निम्नांकित सूचनाएं वेबसाइट पर प्रकाशित होंगी:-

(i) खनन पट्टे के लिए आवेदनकर्ता का नाम, पता, सम्पर्क दूरभाष नम्बर, जिस क्षेत्र के लिए उसके द्वारा आवेदन किया गया है। उसका क्षेत्रफल, स्थान, तहसील, जनपद तथा आवेदन करने का दिनांक। यदि एक स्थान के लिए एक से अधिक आवेदनकर्ता हैं तो उन सभी का उक्तानुसार विवरण एक स्थान पर प्रकाशित किया जायेगा।

(ii) आवेदनकर्ता जिनके आवेदन स्वीकार हुए उनके नाम, पते का विवरण तथा भूमि का स्थान, तहसील, जनपद व क्षेत्रफल, खनन की अवधि, खनन पट्टे की शर्तें तथा पट्टा निर्गत करने की तिथि।

(iii) खनन हेतु पर्यावरण मंत्रालय/न्याय विभाग की अनुमति के आदेश की संख्या एवं तिथि तथा खनन वैधता की अवधि का विवरण।

(iv) आवेदनकर्ता जिनके आवेदन अस्वीकार हुए हैं उनका नाम, पता, दूरभाष सम्पर्क संख्या आदि का विवरण व आवेदन अस्वीकार किये जाने का कारण सहित विवरण।

(v) अन्य प्रासंगिक विवरण।

5. राज्य की भू-विधियों के अनुसार राज्य की भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत भूमि कय हेतु अनुमतियां प्राप्त करनी होती हैं, उन मामलों में आवेदनकर्ताओं के सम्बन्ध में निम्नांकित सूचनाएं वेबसाइट पर प्रकाशित होंगी:-

(i) भूमि कय की अनुमति के लिए आवेदनकर्ता का नाम, पता तथा उनके द्वारा आवेदित भूमि का स्थान, तहसील, जनपद व क्षेत्रफल, भूमि किस उपयोग के लिए कय करना चाहते हैं, उसका विवरण तथा आवेदन करने का दिनांक।

- (ii) आवेदनकर्ता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी अथवा अन्य से राज्य सरकार को प्रेषित की गयी आख्या की दिनांक तथा संस्तुति का संक्षिप्त विवरण।
- (iii) राज्य सरकार द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने की दिनांक तथा अस्वीकार करने की दशा में अस्वीकार किये जाने का संक्षिप्त में कारण।
- (iv) भूमि कय करने की अनुमति की शर्तों का विवरण।
- (v) अन्य प्रासंगिक विवरण।

6. राज्य सरकार के विभागों के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों में 01 जुलाई को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के रिक्त पदों का विवरण वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा तथा राज्य सरकार के विभाग के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची भी प्रकाशित की जायेगी। उक्त सूचना के साथ निम्नांकित सूचनाएं भी प्रकाशित होंगी:-

- (i) राज्य सरकार के विभागों के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग की प्रविष्टि के बाहर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इन चयन परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि, किन-किन समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी तथा किस संस्करण में प्रकाशित हुई तथा पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अन्तिम तिथि क्या है, सीधी भर्ती के लिए चयन की प्रक्रिया सम्पन्न की जाने वाली संस्था का नाम, पता व दूरभाष सम्पर्क संख्या, चयन प्रक्रिया में किन-किन विषयों की परीक्षा वस्तुपरक अथवा लिखित होगी, कितने अंक की होगी तथा चयन का परिणाम तथा प्रवीणता निर्धारित करने के लिए किन-किन अंकों को जोड़ा जायेगा, का विवरण प्रकाशित होगा।
- (ii) चयन परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी चाहे वे चयन में सफल रहे हों या असफल सभी का परिणाम वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। सफल एवं असफल सभी की प्रवीणता सूची का भी प्रकाशन वेबसाइट पर किया जायेगा।

7. विभागों में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में विभागीय पदोन्नति समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की गयी टिप्पणी (जिसमें रिक्त पदों और पदों से सम्बन्धित सेवा नियम, अर्हता, पात्रता क्षेत्र एवं वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि आदि से सम्बन्धित विवरण समाविष्ट होते हैं), विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त/संस्तुति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमोदन एवं निर्गत पदोन्नति आदेश का विवरण आदि।

8. तहसीलों से निर्गत किये गये स्थायी निवास प्रमाण पत्रों का विवरण प्रकाशित किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित सूचनाएं वेबसाइट पर प्रकाशित होंगी:-

- (i) स्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदनकर्ताओं के नाम, पिता/पति का नाम, निवास का पता तथा आवेदन करने का दिनांक।
- (ii) स्थायी निवास प्रमाण पत्र जिनको निर्गत हुआ है उनका नाम, पिता/पति का नाम, निवास का पता, ग्राम का नाम/तहसील/जनपद जहां का स्थायी निवासी के रूप में उनका स्थायी प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र का पत्रांक व दिनांक तथा किस अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत हुआ है, यदि तहसीलदार ने हस्ताक्षर किये अथवा नायब तहसीलदार

ने अथवा उप जिलाधिकारी ने हस्ताक्षर किये हैं तो उस अधिकारी का पदनाम अंकित किया जाय, जिसने सम्बन्धित प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं।

- (iii) जिन आवेदनकर्ताओं के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आवेदन निरस्त हुए हैं, उनका नाम, पिता/पति का नाम, पता तथा निरस्तीकरण का दिनांक व निरस्तीकरण के कारण का उल्लेख किया जायेगा।

9. तहसीलों से निर्गत किये गये जाति प्रमाण पत्रों का विवरण प्रकाशित किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित सूचनाएं वेबसाइट पर प्रकाशित होंगी:-

- (i) जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदनकर्ता का नाम, पिता का नाम, निवास का पता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग जिससे वह सम्बन्ध रखता है तथा आवेदन करने का दिनांक।

- (ii) जिन व्यक्तियों का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, उनके पिता/पति का नाम/निवास का पता, जिस ग्राम/तहसील/जनपद के निवासी के रूप में उन्होंने जाति प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है उनका नाम, जिस आरक्षित वर्ग के लिए उनके जाति प्रमाण पत्र निर्गत हुए हैं उनका विवरण, उपजाति का विवरण, जाति प्रमाण का पत्रांक व दिनांक तथा निर्गत करने वाले अधिकारी का नाम तथा अन्य प्रासंगिक विवरण।

- (iii) निविदादाताओं/फर्मों/ठेकेदारों/एजेन्सियों के वार्षिक टर्नओवर, विगत तीन वर्षों में निष्पादित कार्यों के सम्बन्ध में संबन्धित विभागों की संस्तुतियों आदि का विवरण। वया कभी स्वीकृत फर्म को केन्द्र/राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन विभागों/निकायों/निगमों/प्राधिकरणों/अधिकरणों द्वारा कार्य ब्लैक लिस्टेट किया गया है, का विवरण।

- (iv) जिन आवेदनकर्ताओं के जाति प्रमाण पत्र के आवेदन निरस्त हुए हैं, उनका नाम, पिता/पति का नाम, पता तथा निरस्तीकरण का दिनांक व निरस्तीकरण के कारण का उल्लेख किया जाएगा।

10. पी0पी0पी0 मोड के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का निजी संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अनुबन्ध/एम0ओ0यू0 के सम्बन्ध में निम्नांकित सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी-

- (i) परियोजना का नाम तथा लागत का विवरण, परियोजना को निजी सहभागिता के माध्यम से क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाएगा, उसका विवरण।

- (ii) निजी सहभागिता के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित करने का दिनांक, दैनिक समाचार पत्र जिसमें विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी है, उनके संस्करण का दिनांक। यदि किसी अन्य माध्यम से भी विज्ञप्ति प्रचारित की गयी है तो उसका विवरण।

- (iii) प्राप्त आवेदन/निविदाओं की संख्या, निविदादाताओं के नाम, पते, सम्पर्क दूरभाष नम्बर तथा उनके द्वारा दी गयी दरों आदि का विवरण।

- (iv) यदि द्विनिविदा से निजी सहभागी उद्यमी का चयन किया जाना है तब तकनीकी निविदा के आवेदकों/निविदादाताओं के नाम पते, दूरभाष संपर्क तथा दी गयी निविदा का विवरण।

- (v) तकनीकी निविदा में असफल आवेदकों के नाम, पते, दूरभाष नम्बर तथा असफल होने के कारण।

- (vi) तकनीकी विड में सफल निविदाओं जिनकी वित्तीय निविदा खोली गयी है, उनकी वित्तीय निविदा की दरें आदि का विवरण तथा सबसे कम दर/लागत वाली निविदादाता के नाम, पते, दूरभाष सम्पर्क आदि।
- (vii) लोक निजी सहभागिता हेतु जिस उद्यमी का चयन किया गया है उसका नाम, पते, सम्पर्क का दूरभाष नम्बर तथा चयन किये जाने का संक्षिप्त में कारण। यदि वह सबसे कम दर/लागत की निविदा नहीं है तो उसके स्वीकृत किये जाने का औचित्य।
- (viii) निजी सहभागी उद्यमी के साथ जो अनुबन्ध किया जाएगा, उस अनुबन्ध की शर्तों का विवरण। परियोजना का निर्माण तथा परियोजना संचालन का कार्यकाल आदि का विवरण।
11. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विकलांग, वृद्धजन एवं विधवा पेंशन तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रवृत्ति से सम्बन्धित योजनाओं आदि में लाभार्थियों के नाम, पते एवं अन्य प्रासंगिक विवरण को सम्बन्धित विभागों द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने की कार्यवाही को जाए।
12. कृपया उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विभागीय सूचनाएँ प्रत्येक वर्ष में त्रैमासिक आधार पर जुलाई, अक्टूबर, जनवरी एवं अप्रैल माह के प्रथम पक्ष तक विभागीय वेबसाइट में अपलोड की जायेंगी एवं माह जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च तक विभागीय सूचनाएँ अद्यवाधिक की जायेंगी ताकि सूचनाओं तक आमजन की पहुँच सुनिश्चित हो सके।

कृपया उपरोक्त आदेश की विषयवस्तु सभी संबंधितों के ध्यान में लाते हुये उक्त व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सी०एम०एस० विष्ट)  
सचिव।

प्रतिलिपि-- 2893/xxxi(13)/G-69(सू०अधि०)/2013 तददिनांक।

- 1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन०आइ०सी०) सचिवालय परिसर।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
(एस०एस० वल्लिया)  
संयुक्त सचिव।